न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 56 / 2023 अपील (GCMS 2023/67)
पंजीयन दिनांक– 11 / 07 / 2023
निर्णय दिनांक– 30 / 04 / 2026

ग्रामवासी गांव बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर जरिये प्रतिनिधिः–

1. श्री गेहरीलाल पिता वना ब्राहम्ण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्री सोहनलाल पिता वना ब्राहम्ण, निवासी बट़ेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री प्यारचन्द पिता मगनलाल ब्राहम्ण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्री उत्तम पिता मिठ्ठालाल ब्राहम्ण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री प्रकाश पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्री नीलकंठ पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री कन्हैयालाल पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्री विष्णु पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
5. श्री पप्पू पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
6. श्री हीरालाल पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
7. श्री रमेश पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
8. श्रीमती गीता पुत्री पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

9. श्रीमती सुशीला पुत्री पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
10. श्रीमती प्यारीबाई पुत्री पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण, निवासी ब्राहम्णों का कलवाना, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
11. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
12. श्री जीवनसिंह पिता हरिसिंह राणावत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
13. श्री हरीश कुमार पिता बाबूलाल कलाल, निवासी कमोल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
14. श्री ईश्वरसिंह पिता शिवसिंह चुण्डावत, निवासी कोविया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
15. श्री किशनसिंह पिता भंवरसिंह चदाणा, निवासी निकोर, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
16. श्री गणपतसिंह पिता दलपतसिंह राणावत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
17. श्री जीवनसिंह पिता हरिसिंह राणावत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
18. श्री लक्ष्मणसिंह पिता उदयसिंह झाला राजपूत, निवासी मोतीकुंआ, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा	अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भगवतसिंह	अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 13 से 18
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट 11

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या

05/2022 दिनांक 19.04.2023

निर्णय

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 05/2022 आदेश दिनांक 19.04.2023 (राजस्व अपील) के विरूद्ध प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बटेरी तहसील गोगुन्दा में साबिक आराजी नम्बर 1503 रकबा 5 बीघा जमीन स्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 2665/2228 रकबा 1.0800 हेक्टेयर बने है। वक्त आंवटन विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी सरपंच थे तथा अपने सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए कथित जमीन का आवन्टन अपने नाम पर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश किया। विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी वक्त आवंटन काश्तकार नहीं थे तथा वे सरपंच के पद पर कार्यरत थे एवं आवंटन सलाहकार समिति के स्वंय सदस्य थे तथा स्वंय सदस्य होते हुये स्वंय को उक्त भूमि का आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जबकि वह पद पर आसीन थे एवं भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में नहीं आते थे व उनके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन सरपंच पद से आयी आमदनी से ही चल रहा था उन्होने कभी भूमि पर काश्त नहीं की। भूमि आज भी पहाड के रूप में ही है। कथित आवंटन अन्य गांव में स्थित जमीन का करवाया, जबकि विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी अन्य गांव ब्राहम्णों का कलवाना के निवासी थे एवं उक्त तथ्य को छिपाकर अन्य गांव की जमीन का आवंटन अपने नाम पर कराने हेतु कार्यवाही की,

जबकि जिस गांव में जमीन स्थित है उस गांव के भूमिहीन व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु उक्त प्रकरण में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने स्वंय के नाम पर जो आवंटन कराने का आदेश पारित करवाया वह आदेश स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। जमीन की किस्म पहाड है तथा पटवारी हल्का ने भी यही रिपोर्ट की है। इस पर विपक्षी या उनके पिता गेहरीलाल जी का कभी कब्जा नहीं रहा है। यह जमीन गांव के मवेशियों के चरने के काम में आ रही है। कथित जमीन के सम्बन्ध में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी व विपक्षीगण ने कभी भी आवंटन के शर्तो की पालना नहीं की है, जबकि कथित जमीन के सम्बन्ध में पहले वर्ष आधी जमीन पर काश्त किया जाना आवश्यक था व दूसरे वर्ष पूरी जमीन पर काश्त की जाना आवश्यक था, अगर दोनो वर्षो में पूरी जमीन पर काश्त नहीं की गई है, तो उसके लिए तहसीलदार साहब से स्वीकृति होकर एक वर्ष की अवधि को बढाया जा सकता है, परन्तु इस मामले में विपक्षीगण तथा उनके पिता गेहरीलाल जी ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त योग्य नहीं बनाया है, न ही काश्त की है। इस कारण कथित आवन्टन कबिल निरस्त के है। कथित आवंटन करने से पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र जारी नही किया गया है, न उद्घोषणा पत्र की तामील ही कराई गई है। इस कारण कथित आवन्टन धारा 60 व 61 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के विपरीत होने से कथित आवंटन इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। कथित आंवटन के पूर्व नियम 4, 5, 6 की पालना नहीं की गई है। आवंटन कमेटी के सदस्य होकर भी अपने नाम आवंटन कराना स्पष्ट रूप से फॉड व मिसरिप्रजन्टेशन से कराया गया प्रकट होता है। उक्त आराजी पर गांव के मवेशी चरते हैं तथा यह सार्वजनिक रूप में

काम आ रही है। उक्त आवंटन का दाखला/नामान्तरकरण प्रथम बार सन् 1994 में अपने नाम पर दर्ज करवाया। इसके बाद सन् 1999 में जमीन पर आवंटन शर्तो की पालना किये बिना पटवारी हल्का से मिल मिला खातेदारी अधिकार धोखे से प्राप्त कर लिये। ऐसे धोखे से कारित आवंटन को खारिज करने के लिए कोई समय सीमा मुकर्रर नहीं है। इस कारण उक्त आवंटन को खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् आवन्टन निरस्ती का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1976 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथाकथित जगीन को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कराई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.04.2023 से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस दिनांक सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि मौजा बटेरी तहसील गोगुन्दा में साबिक आराजी नम्बर 1503 रकबा 5 बीघा जमीन स्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 2665/2228 रकबा 1.0800 हेक्टेयर बने है। वक्त आंवटन विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जो सरपंच थे, सरपंच द्वारा अपने स्वयं के नाम से सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए आवंटन कमेटी के समक्ष अपने स्वयं के नाम पर स्वयं के हस्ताक्षर से आवंटन करवा लिया जबकि ऐसा आवंटन किया ही नहीं जा

सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के नाम आवंटन नहीं कराने बाबत संशोधन वर्ष 1996 में आया जबकि स्वयं के नाम आवंटन कराने में शुरू से ही रोक थी। कोई भी आवंटन कमेटी का सदस्य या चेयरमैन अपने नाम से आवंटन नहीं करवा सकता है। गेहरीलाल को आवंटन करने में स्वयं के हस्ताक्षर व स्वयं ने ही अपने हस्ताक्षर से स्वयं को आवंटित करने की सिफारिश की व उसी आधार पर चेयरमैन ने कथित आवंटन गेहरीलाल के नाम कर दिया जो एबइनियोवोईड है। भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में नहीं आते थे व उनके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन सरपंच पद से आयी आमदनी से ही चल रहा था उन्होने कभी भूमि पर काश्त नहीं की। भूमि आज भी पहाड़ के रूप में ही है। कथित आवंटन अन्य गांव में स्थित जमीन का करवाया, जबकि विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी अन्य गांव ब्राहम्णों का कलवाना के निवासी थे एवं उक्त तथ्य को छिपाकर अन्य गांव की जमीन का आवंटन अपनें नाम पर कराने हेतु कार्यवाही की, जबकि जिस गांव में जमीन स्थित है उस गांव के भूमिहीन व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु उक्त प्रकरण में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने स्वयं के नाम पर जो आवंटन कराने का आदेश पारित करवाया वह आदेश स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। जमीन की किस्म पहाड है तथा पटवारी हल्का ने भी यही रिपोर्ट की है। इस पर विपक्षी या उनके पिता गेहरीलाल जी का कभी कब्जा नहीं रहा है। यह जमीन गावं के मवेशियों के चरने के काम में आ रही है। कथित जमीन के सम्बन्ध में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी व विपक्षीगण ने कभी भी आवंटन के शर्तो की पालना नहीं की है, जबकि कथित जमीन के सम्बन्ध में पहले वर्ष आधी जमीन पर काश्त किया जाना आवश्यक था व दूसरे वर्ष पूरी जमीन पर काश्त की जाना आवश्यक था, अगर दोनो वर्षो में

पूरी जमीन पर काश्त नहीं की गई है, तो उसके लिए तहसीलदार साहब से स्वीकृति होकर एक वर्ष की अवधि को बढाया जा सकता है, परन्तु इस मामले में विपक्षीगण तथा उनके पिता गेहरीलाल जी ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त योग्य नहीं बनाया है, न ही काश्त की है। इस कारण कथित आवन्टन कबिल निरस्त के है। कथित आवंटन करने से पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र जारी नही किया गया है, न उद्घोषणा पत्र की तामील ही कराई गई है। इस कारण कथित आवन्टन धारा 60 व 61 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के विपरीत होने से कथित आवंटन इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। कथित आंवटन के पूर्व नियम 4, 5, 6, 7, 11, 13ए की पालना नहीं की गई है। आवंटन कमेटी के सदस्य होकर भी अपने नाम आवंटन कराना स्पष्ट रूप से फ्रॉड व मिसरिप्रजन्टेशन से कराया गया प्रकट होता है। उक्त आराजी पर गांव के मवेशी चरते हैं तथा यह सार्वजनिक रूप में काम आ रही है। उक्त आवंटन का दाखला/नामान्तरकरण प्रथम बार सन् 1994 में अपने नाम पर दर्ज करवाया। इसके बाद सन् 1999 में जमीन पर आवंटन शर्तो की पालना किये बिना पटवारी हल्का से मिल मिला खातेदारी अधिकार धोखे से प्राप्त कर लिये। ऐसे धोखे से कारित आवंटन को खारिज करने के लिए कोई समय सीमा मुकर्रर नहीं है। वकील अपीलांट्स की सबसे पहले आदेश 1 नियम 10 के संबंध में न्यायालय में गलत प्रार्थना पत्र पेश किया जो रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 के पिता गेहरीलाल को किया गया आवंटन एबइनिश्योवोइड है तथा ऐसे आवंटन को किसी भी समय सुओमोटो पता चलते निरस्त किया जा सकता है व वोइड आदेश को किसी भी स्टेज पर चेलेंज किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने खरीददार को आवश्यक पक्षकार कहकर गलत

प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में रेस्पोडेंट संख्या 12 से 17 मौजूदा खातेदार है जो गेहरीलाल के उक्त जमीन के ट्रान्सफरी है तथा जब आवंटन ही वोइड है तो ऐसे मामले में खरीददार आवश्यक पक्षकार नहीं होता है तथा भू आवंटन निरस्त होने पर खरीरदार कर खरीदशुदा जायदाद का विक्रय स्वतः निरस्त हो जाता है व जमीन को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जाती है। रेस्पोडेंट संख्या 12 से 17 उपरोक्त मामले में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकार मानते हुये आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जो बिलकुल गलत होकर काबिल निरस्त है, रेस्पोडेंट संख्या 12 से 17 को आवश्यक पक्षकार के रूप में अपील में संयोजित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जिन्स गिरदावरी की नकलें पेश की तथा बताया कि उक्त जमीन पर कभी भी काश्त नहीं हुई ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नज़रअंदाज करते हुए जो आदेश पारित किया वह निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् आवन्टन निरस्ती का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1976 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा कथित जमीन को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कराई जाने का आदेश प्रदान कराया जाकर अपील स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13 से 18 द्वारा अपनी बहस बताया कि करीब 45–47 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर थे उनका मैं खातेदार

नहीं तथा जिनके नाम खातेदारी है वे पक्षकार नहीं है। कब्जा देने में देरी होना हमारे वश में नहीं होता है। 14(4) का प्रार्थना पत्र खातेदार पर मेन्टेनेबल नहीं है। रेग्यूलर दावा पेश किया जाना चाहिए था। 50 साल में रास्ते बदल गये है आवंटन यथावत रखा जावे। विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी का सरपंच होना स्वीकार है विपक्षीगण गांव बटेरी में निवास करते है इसी पते पर विपक्षीगण की तामील होने से न्यायालय में उपस्थित हुए है। विपक्षीगण के पिता मिथ्या तथ्यों का संकलन कर बेबुनियाद आधारों पर विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी की किस्म बीड अंकित कर रखा है। विपक्षीगण के पिता द्वारा आवंटन के नियमों की पूर्णरूप से पालना की गयी है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा आवंटन के नियमों को ध्यान में रखते हुए आवंटन किया है, किसी प्रकार से फॉड एवं मिसरिप्रजन्टेशन नहीं हुआ है। आवंटित भूमि का किसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से उपयोग में नहीं आ रही है। प्रार्थीगण ने मिथ्या अंकन किया है इसलिए आवंटन किसी भी दृष्टि से खारिज फरमाये जाने योग्य नहीं है। विपक्षीगण के पिता द्वारा किसी को धोखा देकर आवंटन नहीं करवाया है बल्कि विधिसम्मत प्रकिया अपनाते हुए आवंटन हुआ है तथा भूमि का आवंटन के नियमों की पूर्णरूप से पालना करने की वजह से खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज की है। विपक्षीगण के पिता को लगभग पिछले 45–47 वर्ष पूर्व आवन्टन हुआ व विपक्षीगण के जीवित काल में उनका आधिपत्य रहा, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण का आधिपत्य रहा और आवंटन के नियमो की पालना की जाने की वजह से आवंटित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अवधि पर्यन्त होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। इसलिए उपरोक्त समस्त

तथ्यों को मद्देनजर फरमाते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने की वजह से खारिज फरमाया जाना न्यायसंगत होगा। अतः उक्तानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 11 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.04.2023 से उचित निर्णय पारित किया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम वासियान गांव बटेरी, तहसील गोगुन्दा के कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर में नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत एक प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1976 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका आधार सरपंच श्री गेहरीलाल को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन बतलाया, जिनका कथित रूप से सद्भावी कृषक नहीं होना तथा साथ ही आवंटन समिति के सदस्य होने के नाते आवंटन की पात्रता नहीं रखना दर्शाया। इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण निस्तारण से पूर्व कुछ विचारणीय तथ्यों का विवेचन किया:

- *यह कि मूल आवंटी श्री गेहरीलाल की मृत्यु हो चुकी है।*
- *यह कि नियम 14(4) की कार्यवाही में श्री गेहरीलाल के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है किन्तु वर्तमान जमाबंदी अनुसार रेकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है,*

जिनको बिना सुने कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

- *यह कि सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदन में उसके संबंधी होने के कारण या अन्यथा कोई हित होने पर ऐसे सदस्य को समिति की बैठक में भाग लेने पर प्रतिबन्धात्मक परन्तुक नियम 13(1) में सरकार के आदेश दिनांक 06.12.1996 द्वारा आक्षेपित आवंटन पश्चात अन्तः स्थापित किया जाकर दिनांक 20.09.2000 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।*

- *यह कि श्री गेहरीलाल को आवंटित भूमि पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर उनके द्वारा उक्त भूमि को अन्य खातेदारों को हस्तान्तरित भी कर दिया गया, जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाए जाने से प्रार्थीगण को स्वच्छ हाथों से नहीं आना मानते हुए दिनांक 19.04.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार कर खारिज किया गया।*

उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह एक निर्विवादित तथ्य है कि श्री गेहरीलाल को दिनांक 05.06.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रस्तुत अभिलेख अनुसार उक्त आवंटन का बतौर गैर खातेदार नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 30.04.1983 को खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 30.01.1999 से खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुए। तत्पश्चात वर्ष 2002 में पूर्ण आराजी 2665/2228 रकबा 1.0800 हेक्टेयर का 4 व्यक्तियों को विक्रय वर्ष 2002 में सम्पादित होकर खातेदार परिवर्तित होना तथा वर्ष 2015 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाना तथा पुनः वर्ष 2020 व 2021 में बेचान तथा 2022 में भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही होना अभिलेख पर प्रदर्श है।

उक्त परिदृश्य में भूमि आवंटन के 50 वर्ष पश्चात जब मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है तथा राजस्व अभिलेख में विभिन्न बिक्री और रूपान्तरण संबंधी कार्यवाहियों का क्रियान्वयन हो चुका है: ऐसी परिस्थिति में, अपीलार्थी द्वारा नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 के मूल क्षेत्राधिकार प्राधिकारी (Original jurisdiction authority) के समक्ष समस्त विद्यमान हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया जाकर न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी (Appellate authority) में प्रस्तुत वर्तमान अपील में आंशिक अभिलेखीय खातेदारों (partial recorded khatedars) का औपचारिकता स्वरूप आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार के रूप में जोड़कर उन्हीं आधारों पर अनुतोष चाहा जाना पोषणीय (maintainable) नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सुनाया गया।
मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 05/2022 (राजस्व अपील)
GCMS NO : 2022/36

अनवान

ग्रामवासी गांव बटेरी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर जरिये प्रतिनिधीः–

1. श्री गेहरीलाल पिता धूलजी ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्री सोहनलाल पिता वना ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3. श्री प्यारचन्द्र पिता मगनलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. श्री उत्तम पिता मिठ्ठालाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रकाश पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्री नीलकंठ पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3. श्री कन्हैयालाल पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. श्री विष्णु पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
5. श्री पप्पू पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
6. श्री हीरालाल पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
7. श्री रमेश पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
8. श्रीमती गीता पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
9. श्रीमती सुशीला पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
10. श्रीमती प्यारीबाई पिता गेहरीलाल ब्राहम्ण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री रमेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 10।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 05.06.1976

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

* निर्णय *

दिनांक 19-04-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा बटेरी तहसील गोगुन्दा में साबिक आराजी नम्बर 1503 रकबा 5 बीघा जमीन स्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 2665/2228 रकबा 1.0800 हेक्टेयर बने है। वक्त आंवटन विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी सरपंच थे तथा अपने सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए कथित जमीन का आवन्टन अपने नाम पर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश किया। विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी वक्त आवंटन काश्तकार नहीं थे तथा वे सरपंच के पद पर कार्यरत थे एवं आवंटन सलाहकार समिति के स्वंय सदस्य थे तथा स्वंय सदस्य होते हुये स्वंय को उक्त भूमि का आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जबकि वह पद पर आसीन थे एवं भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में नहीं आते थे व उनके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन सरपंच पद से आयी आमदनी से ही चल रहा था उन्होने कभी भूमि पर काश्त नहीं की। भूमि आज भी पहाड के रूप में ही है। कथित आवंटन अन्य गांव में स्थित जमीन का करवाया, जबकि विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी अन्य गांव ब्राहम्णों का कलवाना के निवासी थे एवं उक्त तथ्य को छिपाकर अन्य गांव की जमीन का आवंटन अपनें नाम पर कराने हेतु कार्यवाही की, जबकि जिस गांव में जमीन स्थित है उस गांव के भूमिहिन व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु उक्त प्रकरण में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने स्वंय के ना पर जो आवंटन कराने का आदेश पारित करवाया वह आदेश स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। जमीन की किस्म पहाड है तथा पटवारी हल्का ने भी यही रिपोर्ट की है। इस पर विपक्षी या उनके पिता गेहरीलाल जी का कभी कब्जा नहीं रहा है। यह जमीन गावं के मवेशियों के चरने के काम में आ रही है। कथित जमीन के सम्बन्ध में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी व विपक्षीगण ने कभी भी आवंटन के शर्तो की पालना नहीं की है, जबकि कथित जमीन के सम्बन्ध में पहले वर्ष आधी जमीन पर काश्त किया जाना आवश्यक था व दूसरे वर्ष पूरी जमीन पर काश्त की जाना आवश्यक था, अगर दोनो वर्षो में पूरी जमीन पर काश्त नहीं की गई है, तो उसके लिए तहसीलदार साहब से स्वीकृति होकर एक वर्ष की अवधि को बढाया जा सकता है, परन्तु इस मामले में विपक्षीगण तथा उनके पिता गेहरीलाल जी ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त योग्य नहीं बनाया है, न ही काश्त की है। इस कारण कथित आवन्टन कबिल निरस्त के है। कथित आवंटन करने से पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र जारी नही किया गया है, न उद्घोषणा पत्र की तामील ही कराई गई है। इस कारण कथित आवन्टन धारा 60 व 61 भू राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के विपरीत होने से कथित आवंटन इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। कथित आवंटन के पूर्व नियम 4, 5, 6 की पालना नहीं की गई है। आवंटन कमेटी के सदस्य होकर भी अपने नाम आवंटन कराना स्पष्ट रूप से फॉड व मिसरिप्रजन्टेशन से कराया गया प्रकट होता है। उक्त आराजी पर गांव के मवेशी चरते हैं तथा यह सार्वजनिक रूप में काम आ रही है। उक्त आवंटन का दाखला/नामान्तरकरण प्रथम बार सन् 1994 में अपने नम पर दर्ज करवाया। इसके बाद सन् 1999 में जमीन पर आवंटन शर्तो की पालना किये बिना पटवारी हल्का से मिल मिला खातेदारी अधिकार धोखे से प्राप्त कर लिये। ऐसे धोखे से कारित आवंटन को खारिज करने के लिए कोई समय सीमा मुकर्रर नहीं है। इस कारण उक्त आवंटन को खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् आवन्टन निरस्ती का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1976 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथाकथित जमीन को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कराई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता सुरेश चन्द्र त्रिवेदी द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी का सरपंच होना स्वीकार है विपक्षीगण गांव बटेरी में निवास करते है इसी पते पर विपक्षीगण की तामील होने से न्यायालय में उपस्थित हुए है। विपक्षीगण के पिता मिथ्या तथ्यों का संकलन कर बेबुनियाद आधारों पर विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी की किस्म बीड अंकित कर रखा है। विपक्षीगण के पिता द्वारा आवंटन के नियामों की पूर्णरूप से पालना की गयी है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा आवंटन के नियमों को ध्यान में रखते हुए आवंटन किया है, किसी प्रकार से फॉड एवं मिसरिप्रजन्टेशन नहीं हुआ है। आवंटित भूमि का किसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से उपयोग में नहीं आ रही है। प्रार्थीगण ने मिथ्या अंकन किया है इसलिए आवंटन किसी भी दृष्टि से खारिज फरमाये जाने योग्य नहीं है। विपक्षीगण के पिता द्वारा किसी को धोखा देकर आवंटन नहीं करवाया है बल्कि विधिसम्मत प्रकिया अपनाते हुए आवंटन हुआ है तथा भूमि का आवंटन के नियमों की पूर्णरूप से पालना करने की वजह से खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज की है। **विशेष उत्तर** पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के पिता को लगभग पिछले 45–47 वर्ष पूर्व आवन्टन हुआ तथा विपक्षीगण के जीवित काल में उनका आधिपत्य रहा, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

(10)

विपक्षीगण का आधिपत्य रहा और आवंटन के नियमो की पालना की जाने की वजह से आवंटित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर नहीं होकर ईश्वरसिंह पिता शिवसिंह, किशनसिंह पिता भंवरसिंह, गणपतसिंह पिता दलपतसिंह, जीवनसिंह पिता हरीसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता उदयसिंह व हरिश कुमार पिता बाबूलाल के नाम पर अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अवधि पर्यन्त होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। इसलिए उपरोक्त समस्त तथ्यों को मद्देनजर फरमाते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने की वजह से खारिज फरमाया जाना न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थना हे कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज फरमाया जावे। प्रकरण मे जवाब विपक्षीगण प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 09/1976 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रांरभ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं दस्तावेज मय नजीर RBJ(7)2000 page 547, RBJ(21)2014 page 120, RBJ(13)2006 page 168, RRT2021(1) page 124, RRT2005(1) page 83, RRT2007(2) page 1048 पेश कर निवेदन किया कि आवंटन के समय गेहरीलाल सरपंच थे। जवाब में स्वीकार किया है। आवंटन समिति के सदस्य थे। जमीन किस्म बीड है नाकाबिल काश्त है। नियम 4,5,6 की पालना नहीं हुयी हैं नामान्तरकरण 1994 में दर्ज करवाया तथा 1999 में खातेदारी दर्ज हुयी। जिस गांव में आवंटन हुआ उस गांव के निवासी नही थे। ब्राहम्णों के कलवाना के निवासी थे तथा आवंटन बटेरी ग्राम में हुआ है। आंवटन निरस्त किया जावे। आवंटन के समय के नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में अन्तर है। 5.6.1976 को आवंटन हुआ तथा 03.05.1977 एक साल बाद कब्जा सिपूर्दगी बनी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दस्तावेज मय नजीर RRT2008(2) page 834, RRT2018(2) page 1007, RRT2007(1) page 19, RRT 2007(2) page 1240, RRT2019(2) page 838 पेश कर निवेदन किया कि 47 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ था। प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर वर्तमान नम्बर लिखे हे उनका मैं खातेदार नहीं हूं तथा जिनके नाम खातेदारी है वे पक्षकार नही है। कब्जा देने में देरी होना हमारे वश में नही होता है। 14(4) का प्रार्थना पत्र खातेदार पर मेन्टेनेबल नहीं है। RRT2008(2) page 834 सीआरपीसी 96 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। रेग्यूलर दावा पेश किया जाना चाहिए था। 50 साल में रास्ते बदल गये है आवंटन यथावत रखा जावे। जवाबुल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पेश करने में कोई समय सीमा नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 96 का प्रावधान अपील पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति आवंटन खारिज हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। अतः आवंटन खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रार्थीगण का तर्क है आवंटन के समय प्रार्थी गेहरीलाल स्वंय सरपंच होकर आवंटन समिति के सदस्य थे, आवंटन समिति के सदस्य होने के नाते उन्होने तथ्यों को छुपाकर अपने नाम जमीन आवंटन करवा ली है जो कि विधि विरूद्ध होने से आवंटन निरस्त किया जाने की प्रार्थना की है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आवंटन हेतु आवेदन श्री गेहरीलाल पिता उंकार ब्राहम्ण द्वारा किया गया है। वर्तमान में गेहरीलाल जी की मृत्यु हो चुकी है। उक्त प्रकरण में गेहरीलाल के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार आराजी नम्बर 2665/2228 रकबा 0.0600 हे. भूमि श्री ईश्वरसिंह पुत्र शिवसिंह चुण्डावत, श्री किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह चदाणा, श्री गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह, श्री जीवनसिंह पुत्र हरिसिंह, श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र उदयसिंह एवं श्री हरिश कुमार पुत्र बाबुलाल के नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान के खातेदारों को बिना सुने कोई आदेश पारित किया जाता है तो खातेदारों के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। रहा प्रश्न कि आवंटन कमेटी के सदस्य होते हुए गलत आवंटन कराने के सम्बन्ध में राजस्थान भू.राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 (1) के प्रथम परन्तुक अनुसार (परन्तु यह और कि जहां सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदक में उसके सम्बन्धी होने के कारण या अन्यथा कोई हित हो वहां ऐसा सदस्य समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।) उक्त बिन्दु सरकार के आदेश प.6(12)राज/6/92/32 दिनांक 06.12.1996 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है जो राजपत्र में 4(गजट)(।) दिनांक 20.09.2000 से प्रकाशित किया गया है। प्रार्थी की मूल आपत्ति सदस्य होते हुए आवंटन कराने की है, इसके सम्बन्ध में उक्त प्रावधान आवंटन के बाद में जोडा गया है। उक्त आवंटन दिनांक 05.06.1976 को किया गया है उस समय यह प्रावधान लागू नहीं थे। उक्त भूमि गेहरीलाल को आवंटन होने के पश्चात उन्हे खातेदारी अधिकार मिल गये जिस कारण उक्त भूमि को अन्य खातेदारों को हस्तान्तरित भी कर दी गई है। वर्तमान में उक्त भूमि के गेहरीलाल व उसके वारिसान खातेदार नहीं होकर अन्य खातेदार है, जिनको उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में बिना खातेदारों को सुने खातेदारों

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

(32)

के विरूद्ध कोई निर्णय पारित किया जाता है तो खातेदारो के साथ न्याय नहीं होगा। प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आये है। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय को मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर